हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(सोलहवां सत्र)

लिखित उत्तर हेतु प्रश्न

वीरवार, 24 अगस्त, 2017/ 2, भाद्रपद, 1939 (शक्)

[मुख्य मंत्री - सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री - बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री - वन मंत्री - उद्योग मंत्री - शहरी विकास मंत्री - आबकारी एवं कराधान मंत्री - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री].

कुल प्रश्न - 3

आहरण एवं वितरण की शक्तियां

1738 **श्री महेश्वर सिंह (कुल्लू):**

क्या **मुख्य मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग के कुल्लू मण्डल संख्या-II के अन्तर्गत उप-मण्डल-II के पास आहरण एवं वितरण की शक्तियां नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विभाग को लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई; ब्यौरा दें ?

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

1739 **श्री महेश्वर सिंह (कुल्लू):**

क्या **शहरी विकास मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) यह सत्य है कि साडा के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र की पंचायत मणीकर्ण तथा कसोल के निवासियों ने लिखित रूप में सरकार को इन क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने हेतु निवेदन किया है; यदि हां, तो जनता की आपत्तियों के दृष्टिगत विभाग द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई गई; ब्यौरा दें ;

(ख) यह भी सत्य है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधा प्रदान न करने के बावजूद नोटिफिकेशन से पूर्व बनाए गए पुराने घरों को बिल्ट अप एरिया में नवीनीकरण/नए मकान बनाने हेतु आपत्तियां दर्ज़ की हैं;

(ग) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस बारे क्या कार्रवाई की गई; ब्यौरा दें; और

(घ) सरकार ने क्या इन क्षेत्रों में बना दिए घरों को नियमित करने हेतु सम्बन्धित पंचायतों को अधिकृत किया है; यदि हां, तो ब्यौरा दें?

मल-प्रवाह योजना

1740 **श्री महेश्वर सिंह (कुल्लू):**

क्या **शहरी विकास मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग ने शहरी मल निकासी योजनाओं में उप-नगरीय क्षेत्र जो टी0सी0पी0एक्ट के अन्तर्गत आते हैं, को शहरी क्षेत्रों की योजना में सीवरेज कनेक्शन देने हेतु अनुमति अनिवार्य की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा क्या लिखित अनुमति भुंतर शहर की योजना के साथ उप-नगरीय क्षेत्र को सीवरेज कनेक्शन प्रदान करने हेतु दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब; यदि नहीं, तो कारण?

शिमलाः 171004. **सुन्दर सिंह वर्मा,**

दिनांकः 8 अगस्त, 2017. **सचिव।**